

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 09, गुरुवार, शाके 1947- जनवरी 29, 2026 Magha 09, Thursday, Saka 1947- January 29, 2026	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा
अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 27, 2026

एस.ओ.159 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प. 2(42)वित्त/कर/2017-124 दिनांक 02.01.2026 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण के सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

नथमल डिडेल,

विशिष्ट शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 02, 2026

यतः पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सहायिकियां, प्रसुविधाएं और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता का निवारण करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता तथा दक्षता को प्रोत्साहित करता है;

और यतः सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन विहित प्रयोजनों के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से परामर्श के पश्चात् इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार अपने पत्र क्रमांक ईएफ.स.13(9)/2022-ईजी-II दिनांक 27.08.2025 के माध्यम से वित्त विभाग, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विभाग के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, राजस्थान सरकार, जिसे इसमें उसके पश्चात् उक्त सरकार के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, को अनुज्ञात किया गया था कि उक्त विभाग अधिप्रमाणन मंजूर कर सकेगा और आधार संख्या धारक की पहचान

स्थापित करने के लिए अधिप्रमाणन के दौरान आधार संख्या के उपयोग को अनुज्ञात कर सकेगा और आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016, जिसे इसमें इसके उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, की धारा 4 की उप-धारा (4) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अधीन अधिसूचित कर सकेगा;

और यतः, आधार अधिप्रमाणन निवासियों की पहचान स्थापित करने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) के अधीन अपेक्षित होगा, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन उक्त प्रयोजन के रूप में निर्दिष्ट किया गया है और उक्त प्रयोजन के लिए आधार अधिप्रमाणन का पालन स्वैच्छिक आधार पर होगा और कि उक्त विभाग दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के दौरान केवल प्रस्तुतकर्ता, निष्पादियों और साक्षियों के लिए आधार अधिप्रमाणन का पालन करेगा;

अब, इसलिए, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसरण में और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.2(42)वित्त/कर/2017-55 दिनांक 27.07.2023 को अतिष्ठित करते हुए, उक्त विभाग इसके द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात्:-

- 1.(i) विभाग, उक्त अधिनियम में यथा उपबंधित, इसमें अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या धारक की सहमति अभिप्राप्त करेगा।
- (ii) उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार अधिप्रमाणन स्वैच्छिक आधार पर होगा, विभाग आधार संख्या के धारक को पहचान के वैकल्पिक और सुकर साधन सूचित करेगा और आधार अधिप्रमाणन से इंकार करने, या असमर्थ रहने पर आधार संख्या धारक को किसी सेवा से इंकार नहीं करेगा, अर्थात्:-

- (क) जन आधार कार्ड
- (ख) मतदाता फोटो पहचान-पत्र
- (ग) भारतीय पासपोर्ट
- (घ) चालन अनुज्ञप्ति।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[सं. एफ. 2(42)वित्त/कर/2017-124]

राज्यपाल के आदेश से,
नथमल डिडेल,
विशिष्ट शासन सचिव”।